कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, सिरोही (राजस्थान)

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III भर्ती वर्ष 2016 के क्रम में श्रीमान निदेशक मा.शि.राज.बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 07.02.2018 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं शर्तो अनुसार संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष के प्रोबेशन** पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 12 (6) एफ.डी.नियम/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 शेडयूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल–08 में **नियत मानदेय रू. 18500/–**(अक्षरे अठारह हज़ार पांच सौ रूपये) अथवा **पूर्व** से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.8 (1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 के तहत **नियुक्ति तिथि से प्राप्त मानदेय/वेतन में से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।**

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें; कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगें।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

....2/....

5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **27-02-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगी ।

(सोहन सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सिरोही

क्रमांकः जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2018/73 दिनांक **12-02-2018**

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. उपनिदेशक, माध्यमिक, शिक्षा विभाग, पाली
7. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका....................
8. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
10. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सिरोही

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांकः–जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2018/73 दिनांकः .02.2018

प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III

क्र.स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	16	योगेश कुमार	मोहन लाल	कुम्हार वास गांव झांकर पोस्ट जनापुर तह–पिण्डवाडा जिला सिरोही	OBC	10/05/1992	GENM	राउमावि झाडोली, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही
2	177	गजेन्द्र गिरी	दीप गिरी	मु.पो.वीरवाडा तह–पिण्डवाडा जिला सिरोही	GEN	18/08/1997	GENM	राउमावि नांदिया, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही
3	338	दुर्गा सिंह	जसवंत सिंह	50, जुगतसिंह की ढाणिया, गांव पोस्ट बामणु, तह–फलोदी जिला जोधपुर	GEN	30/03/1994	GENM	राउमावि कालन्द्री, तहसील व जिला सिरोही
4	617	उमेश कुमार	खूमा राम	गांव किलवा पोस्ट डबाल तह–सांचोर जिला जालोर	OBC	19/07/1994	GENM	राउमावि रेवदर, तहसील रेवदर जिला सिरोही
5	640	रामजी लाल चौधरी	ओखा राम	मु.पो.थोबाउ तह–भीनमाल जिला जालोर	OBC	16/07/1988	GENM	राबाउमावि सरूपगंज, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही
6	2470	नरेश कुमार परमार	चुना राम परमार	दक्षिण मेघवाल वास, गली नं. 01 सिरोही	SC	30/03/1986	SCM	राउमावि आबूरोड, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही
7	2731	नरसा राम	सोमा राम ग्रासिया	गांव डिंगार पो. तेलपुर तह–पिण्डवाडा जिला सिरोही	ST	10/04/1995	STM	राउमावि आबूपर्वत, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही
8	40	विक्रम कुमार	पुनम चन्द	पुरोहित वास गांव डेरना पो.ओर तह–आबूरोड जिला सिरोही	GEN	02/07/1998	GENM	राउमावि मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही

12-2-18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

–: वचनबंध प्रपत्र :–

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....

निवासी........................ ....

वचनबद्ध हूं कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता

दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतान के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रसं.	संतान का नाम	जन्मतिथि	पुत्र/पुत्री

दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पति के फलस्वरूप .... सतांन की वृद्धि हुई/नहीं हुई हैं। मेरे वर्तमान में कुल उत्पन्न संतानों की संख्या .... हैं ।

मेरे द्वारा उक्तानुसार की गई घोषणा पूर्णतया सही है, इसके सही नहीं पाये जाने पर विभाग मेरी व.अ. पद पर की गई नियुक्ति निरस्त कर सकेगा एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणिकरण **हस्ताक्षर शपथग्रहिता**

राज्य के बाहर अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा राज्य के बाहर की निम्नांकित विवरणानुसार शैक्षिक/प्रशैक्षिक योगयताऐं अर्जित की गई है:–

सम्बद्ध विश्वविधालय का नाम व पता	अर्जित योग्यता का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर

मेरे द्वारा उक्तानुसार राज्य से बाहर की अर्जित योग्यताऐं सही/प्रमाणित नहीं पाये जाने पर विभाग मेरी तृ.वे.श्रृ.पद शारीरिक प्रशिक्षण अनुंदेशक पद पर नियुक्ति निरस्त कर सकेगा एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणिकरण **हस्ताक्षर शपथग्रहिता**

विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों /सूचनाओं के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तृ.वे.श्रृ.पद शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज/सूचनाए पूर्णतया सही एवं सत्य हैं । उक्त प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचरित पाये जाने पर मेरा तृ.वे.श्रृ.पद शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर किया गया चयन/निुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणिकरण **हस्ताक्षर शपथग्रहिता**